Dainik Navajyothi

RAS-2013 का रिजल्ट जारी करने पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वह आरएएस भर्ती-2013 के साक्षात्कार जारी रख सकती है, लेकिन उसका परिणाम जारी नहीं करे। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रविन्द्र मोहन शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने आरपीएससी से यह भी बताने को कहा है कि संशोधित परिणाम में किस आधार पर कट ऑफ मार्क्स गिराकर 6,200 परिक्षार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए कर लिया। याचिका में कहा गया कि आरएएस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का पहला परिणाम 29 नवंबर 2015 को जारी हुआ। वहीं गत 18 फरवरी को संशोधित परिणाम जारी किया गया।

आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए वर्गवार 15 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाना था, लेकिन आयोग ने तीस गुणा अभ्यर्थियों को उतीर्ण कर दिया। पहले परिणाम में जहां 24 हजार अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, वहीं संशोधित परिणाम में कट ऑफ कम कर 6,200 अभ्यर्थियों का चयन और किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने परिणाम जारी करने पर रोक लगाते हुए आयोग को कट ऑफ घटाने का आधार बताने को कहा है।

आरएएस व एपीपीओ भर्ती में इंटरव्यू 14 सितंबर से

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस भर्ती-2013 में दूसरे चरण के इंटरव्यू 14 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। शेष अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का कार्यक्रम बाद में तय किया जाएगा। अभी पहले चरण में इंटरव्यू चल रहे हैं। इसी प्रकार सहायक लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती-2015 में इंटरव्यू 14 से 29 सितंबर तक लिए जाएंगे। आरएएस भर्ती-14 से 16 सितंबर, 19 से 23 सितंबर, 26 से 29 सितंबर, 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक दोनों पारियों में इंटरव्यू लिए जाएंगे। पहली पारी सुबह 9 एवं दूसरी पारी दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगी।

पहले चरण में 10 अगस्त से शुरू हुए इंटरव्यू 9 सितंबर तक चलेंगे। करीब चार दिन के अंतराल के बाद सोमवार से इंटरव्यू का दौर फिर शुरू हुआ, जो 24 अगस्त तक चलेगा। जन्माष्टमी, शनिवार और रविवार की छुट्टियों के बाद इंटरव्यू 29 व 30 अगस्त, 1 व 2 सितंबर तथा 5 से 9 सितंबर तक इंटरव्यू होंगे। सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती-14 से 16 सितंबर, 19 से 23 सितंबर और 26 से 29 सितंबर तक दोनों पारियों में इंटरव्यू होंगे।

डिटेल फॉर्म साथ लाने होंगे

उप सचिव भगवतसिंह राठौड़ ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक डिटेल फॉर्म भरकर जमा नहीं कराए हैं, उन्हें इंटरव्यू के वक्त सभी वांछित दस्तावेजों की मूल व सत्यापित

फोटोकॉपियों के साथ यह फॉर्म दो प्रतियों में लाने होंगे। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉल लैटर भेजे जा रहे हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को डाक से लैटर नहीं मिल पाता है, तो आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित तारीख और समय पर इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं।